


न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 71/2025 बउनवानी तुलसी देवी जांगिड बनाम अति०जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
पत्नि हरिमोहन जांगिड निवासी व तह० मलारना डूंगर

GCMS No-2025/ 205

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल जज
20.8.2025	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 5.6.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर <u>“ माननीय उप निबंधक (भू०अ०) राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक /राम/भू.अ./शिका/प. 29/2025/2106-07 दिनांक 6.3.2025 पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित सूचना”</u> अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: एफ.13(01)(84)सूकाअ/2025/921 दिनांक 31.7.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 5.6.2025 में चाही गयी सूचना उपलब्ध करवाने बाबत प्रभारी अधिकारी भू०अ०. को लिखा जाने पर प्रभारी अधिकारी भू०अ० अनुभाग के पत्रांक प.14/7/2/विविध/रि./भू.अ./2025/3587 दिनांक 27.6.2025 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इस प्रकार चाही गयी सूचना प्रभारी अधिकारी भू०अ० अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब में अंकित किया है।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 5.6.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना प्रभारी अधिकारी भू०अ० अनुभाग के पत्रांक प.14/7/2/विविध/रि./भू.अ./2025/3587 दिनांक 27.6.2025 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित है। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p>


 (काना राम)
 जिला कलेक्टर
 सवाई माधोपुर

